भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh

F.No. -: 9-PBB460/2021-CHA **दिनांक: 22-03-2022**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन विभाग, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ।
(fcf@punjab.gov.in)

Sub: Diversion of 1.23 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Construction Division No.1, PWD B&R, Mohali for construction of Chandigarh Barrier, Jainti majri, Gura, Kasouli Karonde wala up to Haryana Border link road (proposed length 2.46 KM), under forest division and District SAS Nagar, Punjab. (Online proposal No. FP/PB/Road/42364/2019)-regarding.

संदर्भ:- (i) State Government online proposal received on dated 02.11.2021
(ii) State Government online reply received on dated 14.03.2022

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **1.23** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है ।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उतपन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा |

vi. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास **S-I** अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

vii. **सक्षम प्राधिकारी से निर्गत** FRA **प्रमाणपत्र जमा करना होगा |**

viii. **राज्य वन विभाग के पक्ष में समान गैर वन भूमि** (NFL) **को उत्परिवर्तित** (mutate) **किया जाना है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि अंतिम मंजूरी** (Stage-II) **से पहले** PF/RF **घोषित करें।**

ix. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

x. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पौधें जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 13 और पौधो की संख्या 63 से अधिक नहीं होगी |
iii. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी |
iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |
v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
vii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
viii. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
ix. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |
x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
xii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |
xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी |
xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
xv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |
xvi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी|

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xviii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xx. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा|***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |***

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़ रोड, अलीगंज, नई दिल्ली |(adfc-mef@nic.in)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब। (pccfpunjab@gmail.com)
3. Addl. PCCF (FC)-cum-Nodal Officer (FCA), O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Forest Department, Forest Complex, Sector-68, S.A.S. Nagar, Punjab (fcaforest@gmail.com)
4. CEO CAMPA, O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Forest Department, Forest Complex, Sector-68, S.A.S. Nagar, Punjab (ceopun@gmail.com)
5. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला SAS Nagar पंजाब | (dfosasnagar@gmail.com)
6. Executive Engineer, Construction Division No.1, PWD B&R, Mohali (eecwdmohpwdpb@gmail.com)

Signed by C D Singh
Date: 23-03-2022 12:22:38
Reason: Approved